मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2656
06.03.2020 को उत्तर के लिए

वनीकरण योजना

2656. श्री प्रदीप कुमार चौधरी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदानों के अंतर्गत मान्यताप्राप्त करने के लिए अपेक्षित वनों अथवा वन क्षेत्र में वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्वनीकृत क्षेत्रों सहित बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश भर में भविष्य में निर्वनीकरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) वनीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितनी निधि जारी की गई?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) भारत, पेरिस समझौते के तहत, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के अनुसार, वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO_2 के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन अवशोषण क्षमता (सिंक) सृजित करने हेतु प्रतिबद्ध है। भारत, पेरिस समझौते के तहत, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (एनडीसी) के इस लक्ष्य को पूरा करने के मार्ग पर अग्रसर है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुसरण करते हुए वनों तथा वनाच्छादित क्षेत्रों की सूची तैयार करने के दौरान एकत्रित राष्ट्रीय वन सूची के आंकड़ों का प्रयोग करके वनों के कार्बन भंडार का अनुमान लगाया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर)-2019 के अनुसार, वन क्षेत्र में कार्बन का कुल भंडार 7124.6 मिलियन टन होने का अनुमान है। वर्ष 2017 में किए गए विगत आकलन की तुलना में देश के कार्बन भण्डार में 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कार्बन भण्डार में लगभग 21.3 मिलियन टन की औसत वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है जो 78.1 मिलियन टन CO_2 के समतुल्य है।

इसके अलावा, देश में वृक्षाच्छादन में वृद्धि करने हेतु, मंत्रालय द्वारा अनेक पहलें की जाती रही हैं। इनमें मंत्रालय की राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन और वन्यजीव पर्यावासों के विकास जैसी वर्तमान में कार्यान्वित केंद्र-प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं। प्रतिपूरक वनीकरण कोष नियम, 2018 में भी वनों में सहायता-प्रदत्त प्राकृतिक पुनरूज्जीवन, कृत्रिम पुनरूज्जीवन और वृक्ष संवर्धन कार्यकलाप आरंभ करने हेतु प्रावधान किए गए हैं जिससे वृक्षाच्छादन में वृद्धि करने में योगदान मिलता है। वनीकरण कार्यकलाप अन्य मंत्रालयों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे विभिन्न कार्यक्रमों/निधीयन स्रोतों के तहत और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की स्कीमों/योजनाओं के तहत भी आरंभ किए जाते हैं।

(ख) और (ग) वन क्षेत्रों में वृक्षों की अवैध कटाई के नियंत्रण और निवारण की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है, जिनके द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927, राज्यों के वन अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के तहत उल्लिखित संगत प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत जिन वनों में गैर-वानिकी कार्यकलापों की अनुमति प्रदान की जाती है उनमें वन क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई भी की जाती है। विगत तीन वर्षों (2016-17 से 2018-19) में, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदित विभिन्न प्रस्तावों के अंतर्गत 76,72,337 वृक्षों को हटाया जाना निर्धारित किया गया है और प्रतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत 7,87,00,000 वृक्षों के रोपण का कार्य निर्धारित किया गया है।

(घ) और (ड.) विगत तीन वर्षों के लिए, प्रतिपूरक वनीकरण कोष, हरित भारत मिशन और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमश: **अनुबंध-I, II और III** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

'वनीकरण योजना' के संबंध में दिनांक 06.03.2020 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2656 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2016 से 2019 तक निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण को दर्शाने वाला विवरण

श्रेणी: **सभी श्रेणियाँ**

मामले की स्थिति: **अनुमोदित**

01/04/2016 से 31/03/2019 तक की अवधि के दौरान:

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2016-2017		2017-2018		2018-2019		कुल योग		कुल प्रतिपूरक वनीकरण
		प्रतिपूरक वनीकरण		प्रतिपूरक वनीकरण		प्रतिपूरक वनीकरण		प्रतिपूरक वनीकरण		
		* एनएफएल	** डीएफएल	* एनएफएल	** डीएफएल	* एनएफएल	** डीएफएल	* एनएफएल	** डीएफएल	
1	अण्डमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	56.82	2385.06	392.29	5.98	449.10	2391.04	2840.14
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	549.07	0.00	976.36	0.00	155.00	0.00	1680.43	1680.43
4	असम	8.00	90.42	1.00	180.00	6.00	50.00	15.00	320.42	335.42
5	बिहार	0.00	313.72	0.00	846.79	4.70	637.60	4.70	1798.11	1802.80
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	96.48	1487.25	126.70	1061.17	51.36	2902.86	274.54	5451.27	5725.81
8	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
9	गोवा	0.00	0.00	40.09	0.00	0.00	0.00	40.09	0.00	40.09
10	गुजरात	2.16	604.73	12.75	271.97	1064.93	244.96	1079.84	1121.66	2201.50
11	हरियाणा	0.00	480.43	0.00	676.97	7.90	1026.15	7.90	2183.55	2191.45
12	हिमाचल प्रदेश	0.00	253.86	0.00	709.92	41.47	1470.92	41.47	2434.70	2476.17
13	झारखंड	3.67	128.93	298.53	105.41	143.07	2277.54	445.27	2511.89	2957.16
14	कर्नाटक	95.20	337.51	261.77	77.98	106.48	2.27	463.44	417.76	881.20
15	केरल	0.00	8.80	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	8.80	9.30
16	मध्य प्रदेश	584.68	256.89	419.24	1658.71	1559.30	9859.65	2563.21	11775.24	14338.45
17	महाराष्ट्र	1245.09	386.68	817.15	551.89	571.30	1690.16	2633.55	2628.74	5262.29
18	मणिपुर	0.00	380.49	0.00	2266.25	0.00	0.00	0.00	2646.74	2646.74
19	मेघालय	4.82	8.50	0.00	0.00	0.00	9.74	4.82	18.24	23.06
20	मिजोरम	0.00	3.85	0.00	18.78	17.50	0.00	17.50	22.63	40.13
21	ओडिशा	78.65	433.06	1183.23	1589.88	2300.32	5540.12	3562.20	7563.06	11125.26
22	पंजाब	0.00	149.56	46.54	1424.42	4.93	1272.91	51.47	2846.89	2898.35
23	राजस्थान	2172.01	16.57	0.00	334.32	266.40	252.99	2438.41	603.88	3042.30
24	सिक्किम	0.00	45.55	0.00	117.71	0.00	51.64	0.00	214.90	214.90
25	तमिलनाडु	0.00	19.84	0.00	0.00	13.86	20.00	13.86	39.84	53.70
26	तेलंगाना	106.00	10.06	3951.57	2055.00	1978.32	1919.08	6035.88	3984.14	10020.03
27	त्रिपुरा	0.00	28.22	0.00	84.01	1.00	15.36	1.00	127.59	128.59
28	उत्तर प्रदेश	0.00	340.10	0.00	76.33	167.18	922.64	167.18	1339.08	1506.26
29	उत्तराखंड	273.08	0.00	2273.95	0.00	768.53	606.66	3315.55	606.66	3922.21
30	पश्चिम बंगाल	47.49	249.74	0.00	38.20	0.00	56.06	47.49	344.00	391.50
कुल योग		**4717.32**	**6583.82**	**9489.33**	**17509.14**	**9467.33**	**30990.29**	**23673.98**	**55083.25**	**78757.23**

* वनेतर भूमि

** अवक्रमित वन भूमि

अनुबंध-II

'वनीकरण योजना' के संबंध में दिनांक 06.03.2020 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2656 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19
1	आंध्र प्रदेश	1.33	3.36	6.38
2	बिहार	2.18	4.23	0.00
3	छत्तीसगढ़	4.92	10.86	7.82
4	गोवा	0.00	0.00	0.00
5	गुजरात	4.36	0.00	0.00
6	हरियाणा	3.50	2.71	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	0.00	1.72	2.92
8	जम्मू और कश्मीर	0.00	7.20	0.00
9	झारखंड	0.00	0.00	0.00
10	कर्नाटक	7.33	3.24	10.99
11	केरल	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	4.00	8.74	7.78
13	महाराष्ट्र	4.76	6.73	15.33
14	ओडिशा	4.62	3.49	11.36
15	पंजाब	0.00	0.00	0.00
16	राजस्थान	0.00	1.40	1.95
17	तमिलनाडु	1.56	0.00	2.07
18	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00
19	उत्तर प्रदेश	2.55	0.67	0.32
20	उत्तराखंड	0.00	3.36	2.58
21	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00
22	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.86	0.00
23	असम	0.00	0.00	0.58
24	मणिपुर	1.21	3.19	4.38
25	मेघालय	0.00	1.65	0.74
26	मिजोरम	6.74	5.80	7.79
27	नगालैंड	5.21	5.85	6.41
28	सिक्किम	5.09	0.00	5.98
29	त्रिपुरा	0.00	4.94	0.00
	कुल	**59.35**	**80.00**	**95.38**

अनुबंध-III

'वनीकरण योजना' के संबंध में दिनांक 06.03.2020 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2656 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

हरित भारत मिशन के तहत जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19
1	आंध्र प्रदेश	0.01	0.45	2.6 7
2	छत्तीसगढ़	20.23	10.95	5.36
3	कर्नाटक	0.87	0.8 6	1.62
4	केरल	-	-	-
5	मणिपुर	7.82	6.4 2	4.8 9
6	मिजोरम	9.88	20.00	22.36
7	ओडिशा	1.39	1.41	4.74
8	पंजाब	-	6.22	-
9	उत्तराखंड	-	-	-
10	मध्य प्रदेश	-	-	24.16
11	महाराष्ट्र	-	-	10.3
12	सिक्किम	-	-	33.2
13	पश्चिम बंगाल	-		
कुल		**40.21**	**46.3**	**79.43**